खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम भैरूलाल अग्रवाल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारीः रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.)

आवेदकः–
श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अप्रार्थी/अभियुक्तः–
1. श्री भैरूलाल अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल (खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक)
फर्म – मैसर्स रामस्वरूप किशन लाल, बडू, तहसील परबतसर
निवासी – अग्रवालो का बास, बडू, तहसील पबरतसर

प्रकरण संख्या :–03/2024

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 "

उपस्थितः–
1. अभियुक्त श्री भैरूलाल अग्रवाल (खाद्यकारोबारकर्ता, मालिक)।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 29.02.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.11.2023 को समय 04:30 पी..एम. पर फर्म मैसर्स रामस्वरूप किशन लाल, बडू, तहसील परबतसर पर पॅहुचा। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री भैरूलाल अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल निवासी अग्रवालो का बास, बडू, तहसील पबरतसर पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक की हैसियत से मौजूद है। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन, स्वयं के आधार कार्ड तथा स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

(2) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध पेडा मिठाई(लुज) 5 किलोग्राम एक ट्रे में रखे है, के [illegible] पर 2 किलोग्राम पेडा [illegible](लुज) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री भैरूलाल अग्रवाल को 600/– [illegible] नकद देकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(3) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर प्रपत्र 5ए की प्रतिया तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक को पढकर, सुनाकर एंव समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर भैरूलाल अग्रवाल एंव गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक को बता दिया था कि यह पेडा मिठाई(लुज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(4) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पेडा मिठाई(लुज) 4 साफ–सुखी चौड़े मुह की प्लास्टिक बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पेडा मिठाई(लुज) को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चारों सुखे एवं खाली बोतलो में डाला एंव प्रत्येक बोतल में 40–40 बुन्द फार्मलिन की बतोर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारों बोतलो को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। उन पर विक्रेता एंव गवाहान की उपस्थिति मे लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q-2682 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं.– Q-2682 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागों से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाब्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एंव समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री भैरूलाल अग्रवाल एंव गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(5) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को अलग से चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:16 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/897 दिनांक 22.11.2023 को जांच रिपोर्ट संख्या LS/1706/Act/2023/1704 दिनांक 09.11.2023 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता मालिक से वास्ते नमूना जाँच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ पेडा मिठाई (लुज) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(7) अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, नगौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(8) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण की सुनवाई तिथि 27.02.2024 को अभियुक्त भैरूलाल अग्रवाल (खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक) ने अपना स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत कर बताया कि पेडा मिठाई को बनाने के लिए मावा बाहर से खरीदा था, मेरी जानकारी में मावा उच्च क्वालिटी का था। मूझे खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के नियमों की जानकारी नहीं थी। मेरी मिठार्ड पहले जांच में सही पायी गयी थी। आगे से मे उक्त नियमों के अनुसार ही काम करूगा। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अतः कम से कम जुर्माना आरोपित करने की कृपा करावें।

(9) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. LS/1706/Act/2023/1704 दिनांक 09.11.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion-The sample of Peda Mithai sweets bearing Code no. and Sr. no. Q-2682 of Designated officer cum Chief Medical and Health Officer, Nagaur is Substandard as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Addivtive) Regulation, 2011.

अतः उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एंव धारा 3(1)(zx) के तहत जुर्माना योग्य अपराध है, जिसका जुर्माना इसी अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है। धारा 26 की उपधारा 2(ii), धारा 3(1)(zx) एंव 51 इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा – 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zx) "अवमानक" से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है

(10) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान से खाद्य पदार्थ पेडा मिठाई(लुज) की जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता भैरूलाल अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमूना Q–.2682 अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) होना पाया गया है। जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक भैरूलाल अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल फर्म–मैसर्स रामस्वरूप किशन लाल, बड़ू, तहसील परबतसर निवासी अग्रवालो का बास, बड़ू, तहसील पबरतसर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक भैरूलाल अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल निवासी अग्रवालो का बास, बड़ू, तहसील प[illegible] फर्म– मैसर्स रामस्वरूप किशन लाल, बड़ू, तहसील परबतसर पर राशि रुपये 7,000/–(अक्षरे रुपये [illegible] मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मु[illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें वाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा – 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zx) "अवमानक" से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है

(10) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान से खाद्य पदार्थ पेडा मिठाई(लुज) की जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता भैरूलाल अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमूना Q–.2682 अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) होना पाया गया है। जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक भैरूलाल अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल फर्म–मैसर्स रामस्वरूप किशन लाल, बडू, तहसील परवतसर निवासी अग्रवालो का बास, बडू, तहसील पबरतसर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक भैरूलाल अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल निवासी अग्रवालो का बास, बडू, तहसील पब[illegible] फर्म– मैसर्स रामस्वरूप किशन लाल, बडू, तहसील परबतसर पर राशि रुपये 7,000/–(अक्षरे रुपये स[illegible] मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा [illegible] एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी का [illegible] स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे। गिसल वास्ते इन्तजार चालान/डीडी जुर्माना राशि के आईन्दा दिनांक 28.03.2024 को पेश हो।

(11)आदेश दिनांक 29.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

29/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested